दिनांक 26.09.2023
प्रेस विज्ञप्ति 29/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

आपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जघन्य अपराधों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व समय–समय पर दिए गए निर्देशों के क्रम में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए आपरेशन कन्विक्शन कार्य योजना के तहत उ0प्र0 पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा मा0 न्यायालय में संयुक्त रूप से प्रभावी पैरवी कराकर न्यूनतम समय में अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त के क्रम में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा हत्या, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट आदि जघन्य अपराधों में मुख्यतः निम्न जनपदों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा सुनाई गई है।

- **जनपद इटावा/थाना भरथना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 70–70 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना भरथना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/326 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–शंकरलाल 2–श्याम किशोर 3–नितिन को आजीवन कारावास व 70–70 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना छपार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना छपार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/149/147/148 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–ईश्वरचन्द्र 2–विमल 3–देशराज 4–ललित को आजीवन कारावास व 10–10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 13–13 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/457 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–विकास 2–धर्मवारी को आजीवन कारावास व 13–13 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोण्डा/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 20–20 वर्ष के कारावास की सजा व 62–62 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–गोलू उर्फ सुनील कुमार 2–नितिन को 20–20 वर्ष के कारावास व 62–62 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद चन्दौली/थाना धीना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चन्दौली द्वारा थाना धीना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त बेचू अली उर्फ मेहरबान को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बाराबंकी/थाना बदोसराय (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना बदोसराय पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5 सपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अलवास उर्फ अलबक्श को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

जनपद आजमगढ़/थाना महराजगंज

- **25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 25.09.2023 को थाना महराजगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–शनि कुमार 2–साहिल उर्फ देवव्रत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना महराजगंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना महराजगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शनि कुमार निवासी भीलमपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।

2–साहिल उर्फ देवव्रत निवासी चौकन्ना पुरूषोत्तमपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद श्रावस्ती/थाना मल्हीपुर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉक:25/26.09.2023 को थाना मल्हीपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भिनगा–मल्हीपुर मार्ग पर मधवापुर पुल से पहले ग्राम ऐंठा को जाने वाले रोड पर बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त दादे घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना मल्हीपुर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बहराइच, श्रावस्ती के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मल्हीपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दादे निवासी दिनामगढ़ थाना इकौना जनपद श्रावस्ती।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद गोण्डा/थाना नवाबगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूटे गये 36 हजार 10 रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साकिल**
- **03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 26.09.2023 को थाना नवाबगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नगवा मोड़ के आगे गोसाई पुरवा के पास सड़क के किनारे बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–करन उर्फ सूरज 2–अभिषेक घायल हो गया, जिन्हें अभियुक्त 3–लल्ला उर्फ मनोहर 4–अभय सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 36 हजार 10 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साकिल, 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 22.09.2023 को थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नवाबगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त लल्ला उर्फ मनोहर के विरूद्ध जनपद अयोध्या, गोण्डा के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग व अभियुक्त अभिषेक व अभय के विरूद्ध जनपद गोण्डा के थाना नवाबगंज पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नवाबगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–करन उर्फ सूरज निवासी बखिरा महगूंपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

2–अभिषेक निवासी मोहल्ला कहरान कस्बा व थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

3–लल्ला उर्फ मनोहर निवासी कोल्हमपुर इमाम थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

4–अभय निवासी लालापुरवा अशोकपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी

1–लूटे गये 36 हजार 10 रूपये नगद।

2–घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साकिल।

3–03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद खीरी/थाना सिंगाही

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूटे गये 16 हजार रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 26.09.2023 को थाना सिंगाही पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बंगलहा तकिया मोड के पास से पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्तों 1–अतीउल्ला 2–गामा को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 16 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना सिंगाही क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिंगाही पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सिंगाही पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अतीउल्ला निवासी ग्राम बेनौरा थाना पढुवा जनपद खीरी।

2–गामा निवासी ग्राम बेनौरा थाना पढुवा जनपद खीरी।

<u>बरामदगी</u>

1–लूटे गये 16 हजार रूपये नगद।

2–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

3–02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>जनपद सहारनपुर/थाना देवबन्द</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 26.09.2023 को थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भनेडा रोड पर ईख के खेत के पास बदमाश के घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मुजीब घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद सहारनपुर के थाना देवबन्द पर सीएस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना देवबन्द पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मुजीब निवासी ग्राम फुलास थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद बाराबंकी/थाना लोनीकटरा

- **03 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 24 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 23 किलो 490 ग्राम अवैध मारफीन/स्मैक**
- **नगद रूपये, 03 मोबाइल फोन**
- **02 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 25.09.2023 को थाना लोनीकटरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मंगलपुर रेलवे क्रासिंग के पास से 03 मादक पदार्थ तस्करों 1—शनि उर्फ रोहित 2—अशोक कुमार 3—महेन्द्र उर्फ विक्कू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 24 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 23 किलो 490 ग्राम अवैध मारफीन/स्मैक, नगद रूपये, 03 मोबाइल फोन, 02 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना लोनीकटरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शनि उर्फ रोहित निवासी पूरे लदई दुन्दीपुर थाना लोनीकटरा जनपद बाराबंकी, हालपता खुरदही बाजार माड़रमऊ थाना सुशान्त गोल्फ सिटी कमिश्नरेट लखनऊ।

2—अशोक कुमार निवासी पनिहल थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी।

3—महेन्द्र उर्फ विक्कू निवासी दहिला थाना लोनीकटरा जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1—लगभग 24 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 23 किलो 490 ग्राम अवैध मारफीन/स्मैक।

2—नगद रूपये, 03 मोबाइल फोन।

3—02 चार पहिया वाहन आदि।

- **जनपद बाराबंकी (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 02 करोड़ 15 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद बाराबंकी पुलिस ने अभियुक्त संगम कुमार पुत्र स्व0 रामसुधार निवासी ग्राम ममतामऊ थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी द्वारा अपने तथा अपने परिजन के नाम पर अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 02 करोड़ 15 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का 01 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, 410 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद।

दिनांक 25—09—2023 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 01 सदस्य को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 410 पेटी अंग्रेजी शराब (अनुमानित कीमत लगभग 55 लाख रुपये) व तस्करी में प्रयुक्त वाहन टाटा डीसीएम 1815 एल0पी0टी0 बरामद करने में एस0टी0एफ0उ0प्र0 को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :—

1—अरविन्द कुमार दुबे पुत्र अशोक कुमार दुबे, निवासी ग्राम लीलापुर, पोस्ट साहबगंज, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ **(चालक)।**

बरामदगी :—

1— कुल 410 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 55 लाख रूपये)।

(I) IMPERIAL BLUE –133 पेटी (750 ML)।

(II) IMPERIAL BLUE –94 पेटी (375 ML)।

(III) IMPERIAL BLUE –183 पेटी (180 ML)।

2– 01 अदद वाहन टाटा डीसीएम 1815 एल0पी0टी0 नम्बर UP-84-AT-3431।

3– 01 अदद मोबाइल फोन।

4– 01 अदद आधार कार्ड।

5– 01 ड्राइविंग लाइसेन्स।

6– 01 अदद आर0सी0।

4– नकद 3700/– रूपये।

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय</u>

आगरा–कलकत्ता मार्ग एन0एच0 19 नीलकण्ठ ढाबा, मदन का पूरा मजरा समसपुर, थाना क्षेत्र हथिगवां जनपद प्रतापगढ़। दिनांक–25.09.2023 प्रातः 23:10 बजे।

विगत काफी दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि अन्तर्राज्यीय गिरोहों द्वारा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा व चण्डीगढ़ से अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार, झारखण्ड व छत्तीसगढ़ प्रान्त के विभिन्न जनपदों में की जा रही है। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/ टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में एसटीएफ टीम द्वारा अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोहों के विरूद्ध अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में दिनांक 25–09–2023 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह, उप निरीक्षक श्री वेद प्रकाश पाण्डेय, मुख्य आरक्षीगण प्रभन्जन पाण्डेय, सोनू, उदय प्रताप सिंह, अजय कुमार यादव व आरक्षी चालक अखण्ड प्रताप की टीम जनपद प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र हथिगंवा में आपराधिक अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से मौजूद थी। इसी दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि पंजाब प्रान्त से एक टाटा 1815 एल0पी0टी0 नम्बर UP-84-AT-3431 में लदी

हुई अवैध अंग्रेजी शराब प्रतिबन्धित प्रान्तों में विक्रय हेतु आगरा–कलकत्ता राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के रास्ते पटना बिहार प्रान्त ले जायेगा। इस सूचना पर विश्वास कर आगरा–कलकत्ता राष्ट्रीय राजमार्ग 19 नीलकण्ठ ढाबा के पास करीब 10 मीटर आगे मदन का पूरा थाना क्षेत्र हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ पर पहुँचकर स्थानीय पुलिस को अवगत कराते हुए, मुखबिर खास द्वारा बताये गये उक्त वाहन को रोककर चेक किया गया तो डीसीएम के अन्दर निष्प्रयोज्य कपड़ों के कतरन की आड़ में अवैध अंग्रेजी शराब की पेटियों को छुपाकर रखा गया था। उक्त वाहन पर लदे अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 01 अभियुक्त/चालक उपरोक्त को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

विस्तृत पूंछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि उन लोगों का अंग्रेजी शराब की तस्करी का एक सक्रिय गिरोह है, जिसका मुख्य सरगना संजीव कुमार पुत्र झम्मन लाल निवासी जसवंतपुर सामौनी जनपद मैनपुरी का रहने वाला है, जो उसे अपने वाहन में पंजाब से अवैध अंगेजी शराब लोड कराकर बिहार पहुँचाने हेतु दिया करता है। सरगना संजीव कुमार उपरोक्त द्वारा सस्ते दामों में कम्पनियों से चोरी छिपे सॉठ–गॉठकर अंग्रेजी शराब लेकर ऊँचे दामों पर विभिन्न प्रान्तों में खासकर जिसमें शराब विक्रय की पूर्णरूपेण पाबन्दी है, जैसे गुजरात, बिहार व झारखण्ड आदि प्रान्तों में बेचा जाता है।

उसे बिहार व झारखण्ड राज्य तक अवैध अंग्रेजी शराब पहुॅचाने पर गैंग सरगना द्वारा 40 हजार रूपये पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। उसके द्वारा आज से करीब एक सप्ताह पहले इन्हीं का लोडेड अवैध अंग्रेजी शराब बिहार प्रान्त में पहुॅचाया गया था तथा आज भी ले जा रहा था। बिहार जाने का उसका रूट दूसरा था, परन्तु उसके मित्र यीशू जनपद प्रतापगढ़ द्वारा कहा गया कि माल प्रतापगढ़ ले चलो मैं सेट किया हूॅ तुम्हें 02 लाख रूपया दूॅगा। जिसके कहने पर लालच में आकर गाड़ी में लगे जीपीएस को निकाल कर प्रतापगढ़ चला आया और वे लोग गाड़ी के आगे पीछे चल रहे थे, परन्तु आप लोगों को देखकर वह भाग गया।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़ में मु0अ0सं0–193/2023 धारा : 419/420 भादवि व 60(1)/63/72 आबकारी अधिनियम में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एसटीएफ–जनपद गोरखपुर से गैगस्टर के अभियोग में वांछित रूपये 25,000 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त जज सिंह जनपद गोरखपुर से गिरफ्तार।

दिनांक 25–09–2023 को एसटीएफ, उत्तर प्रदेश को थाना बेलीपर, जनपद गोरखपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 673/2020 धारा 03 (1) यू0पी0 गैगस्टर एक्ट में वांछित व रू0 25,000/– के पुरस्कार घोषित अभियुक्त जज सिंह पुत्र प्रीतम सिंह को जनपद गोरखपुर से गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– जज सिंह पुत्र प्रीतम सिंह निवासी डहरिया थाना शम्भू जनपद पटियाला पंजाब।

बरामदगीः–

1– रू0 940 रू0 नकद

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समयः–

स्थानः थाना गीडा गोरखपुर, क्षेत्रार्न्तगत जीरो पॉइन्ट के पास ,दिनांक 25.09.2023,समय 17.50 बजे।

एसटीएफ उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित/पुरस्कार घोषित अपराधियों व शराब तस्करो के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध मे एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण व श्री उदय प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि थाना बेलीपर, जनपद गोरखपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 673/2020 धारा 03(1) यू0पी0 गैगस्टर एक्ट में वांछित व रू0 25,000/– के पुरस्कार घोषित अभियुक्त जज सिंह पुत्र प्रीतम सिंह निवासी डहरिया थाना शम्भू जनपद पटियाला पंजाब, गोरखपुर में किसी से मिलने आने वाला है। इस सूचना को थाना बेलीपार गोरखपुर पुलिस से साक्ष्य करते हुए निरीक्षक श्री यतीन्द्र शर्मा,

मु0आ0 रामनरेश, मु0आ0 बृजराज सिंह मु0आ0 बल्देव सिंह ,एसटीएफ आगरा की एक टीम मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान थाना गीडा गोरखपुर, क्षेत्रान्तर्गत जीरो पॉइन्ट के पास से गोरखपुर पुलिस को साथ लेकर अभियुक्त जज सिंह को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह ट्रक ड्राइवर है, ट्रक मालिक गुरमेल सिंह पुत्र करनैल सिंह नि0 डेरा बस्सी पंजाब के कहने पर ट्रक लेकर गोरखपुर आया था इसी दौरान उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। उस ट्रक में शराब बनाने का केमिकल था। जिस सम्बन्ध में थाना बेलीपार, गोरखपुर में मु0अ0सं0 318/2018 धारा 60/60ए/62/72 आबकारी एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था और वह जेल चला गया। जमानत से छूटने के बाद चावल फैक्ट्री पटियाला पंजाब मे नौकरी करने लगा। कुछ समय बाद इसे पता चला कि इसके विरूद्ध गैगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत है। इसी मामले में गोरखपुर आया था।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना बेलीपार, जनपद गोरखपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 673/2020 धारा 03(1) यू0पी0 गैगस्टर एक्ट मे दाखिल किया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना स्थानीय द्वारा की जा रही है।

<u>अभियुक्त जज सिंह का ज्ञात अपराधिक इतिहास–</u>

1– मु0अ0सं0 318/2018 धारा 60/60ए/62/72 आबकारी एक्ट बेलीपार, गोरखपुर।

2– मु0अ0सं0 673/2020 धारा 03(1) यू0पी0 गैगस्टर एक्ट, बेलीपार, गोरखपुर।

——————